न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 123/2020 (2020/00123)

महावीर सिंह पुत्र रूघ सिंह जाति राजपूत निवासी जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थीगण

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर। **—— रेस्पोडेंट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर,

दिनांक 19.05.2017, प्र. सं. 124/2016

श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 8.9.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि ख. नं. 93 मीन 17 बीघा 03 बिस्वा, साबिका ख. नं. 93 की 261 बीघा 12 बिस्वा कुल 2 खसरेजात की 278 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें 42 बीघा भूमि सायल के पिता रूघसिंह की अर्जित व नौतोड़ करदा भूमि है। ख0 नं0 93 मिन से हाल ख0 नं0 97 व 106 में तब्दील व पैमूद कर दी गई तथा वर्तमान में रोही मोजा जोखासर तहसील नोहर क ख0 नं0 97 की 7.9290 है0 ख0 नं0 106 68.8980 है0 भूमि में तब्दी व पैमूद [illegible] तरतीबी प्रतिवादीगण के पास 10.626 है0 भूमि कब्जा काश्त में है। [illegible] राजस्व रिकार्ड में जोहड़ पायतन दर्ज रहने से सायल व [illegible] के नाम [illegible] ही हो सकी। जबकि 10 वर्ष से अधिक समय से हमारा [illegible] जा काश्त है। भूमि [illegible] जदीक कभी भी जोहड़ स्थित नही रहा है तथा गांव के सार्वजनिक हित की भूमि नहीं है ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उक्त भूमि कभी सार्वजनिक रूप से प्रयोग ली गई है। तरतीबी प्रतिवादी सं0 1 वाद भूमि से बेदखल कर व तावान आदि की कार्यवाही करने पर आमादा है यदि गैर सायल सं0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि को जोहड़. पायतन की भूमि होने एवं उसपर प्रार्थी/अपीलाण्ट का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं होना मानते हुए अपीलधीन आदेश से प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है जो दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है। अपीलाण्ट को बिना सूचना अथवा नोटिस दिये तारीख पेशी में काट छांट कर स्टेट का जवाब प्राप्त किये बिना अभिभाषक को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है तथा लोक अदालत पर सूचना दिया जाना कानूनी तौर से आवश्यक है परन्तु कोई सूचना नही दी गई। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दुओं पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। निर्णय एकपक्षीय एवं विधि की अवहेलना में परित किया है जो अपास्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नही था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः डिले कन्डोन की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि जोहड़ पायतन के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिस पर अपीलाण्ट को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही हो सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसका सशपथ खण्डन प्रस्तुत नहीं होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणागवुण पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण में आये तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत भूमि जोहड़ पायतन के नाम से दर्ज रिकार्ड है। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि पर उसका कब्जा काश्त बताया हैं। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिसके आधार उसका प्रश्गनत भूमि पर साधिकार कब्जा काश्त हो। अधीनस्थ न्यायालय ने जोहड़ पायतन की भूमि काश्त करने के लिए अपीलाण्ट को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना है जो उचित है। क्यों कि जोहड़ पायतन की भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट के द्वारा भी ऐसा रकबा प्रतिबंधित है।

9. जहां तक अपीलाण्ट का यह कथन कि पत्रावली कैम्प में रखी गई उसे सुना नही गया तो अपीलाण्ट के अधिवक्ता अपीलाधीन आदेश के समय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे है फिर भी अपीलाण्ट अपने कथन यहां अपील में भी कर सकता है। मगर अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे प्रश्नगत भूमि पर उसका साधिकार कब्जा काश्त हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। शिविर प्रभावरी उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णयकी प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.9.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:33 IST
Reason: SelfAttested

8/9/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़